

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 06/2024

रजिस्ट्रेशन नं. :2024/12

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज) बनाम


श्री किशोर कुमार पाठक पुत्र श्री लक्ष्मी  
नारायण पाठक निवासी कालिका माता रोड,  
बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स कल्याण  
ज्युस सेन्टर, एम.जी हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट  
रोड, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 27-02-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 01-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 07-06-2023 को 6.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स कल्याण ज्युस सेन्टर, एम.जी हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री किशोर कुमार पाठक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पाठक उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स कल्याण ज्युस सेन्टर, एम.जी हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में अनार शैक एक फ्रीज में स्टील की टंकी में 3 लीटर करीब रखा पाया। इसमें से जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए अनार शैक 2 लीटर हिला मिलाकर एक मेल कर/तुलवाकर/ नपवाकर वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 400/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा अनार शैक 2 लीटर को साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक की बोतल में प्रीजरवेटीव फार्मलिन 40-40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1442 प्रत्येक



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)


नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/361 दिनांक 07-06-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 650 दिनांक 20-06-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **अनार शैक** का नमूना कोड क्रमांक **W-1442** Contains Extraneous Matter food under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **अनार शैक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 02-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19-02-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/361 दिनांक 07-06-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 650 दिनांक 20-06-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **अनार शैक** का नमूना कोड क्रमांक **W-1442** Contains Extraneous Matter food under section 3(1)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(आति.निस्त.कानून.कर)  
बॉसवाडा (म.प्र.)

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Contains Extraneous Matter पाया गया **अनार शैक** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री किशोर कुमार पाठक पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पाठक निवासी कालिका माता रोड, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स कल्याण ज्युस सेन्टर, एम.जी हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट रोड, बांसवाडा 5000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।**

निर्णय आज दिनांक 27-02-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



( अभिषेक गोयल )  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाडा (राज.)